

आदेश नं. 234/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
शुभम हाकरिंग अवलपगेन्ट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- 608-609, छठी मंजिल, ब्लॉक सी, अनसल इन्वीस्टमेंट टॉवर्स, कम्प्यूटिटी सेन्टर, चाशायणा विहार नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. ओमप्रकाश गुप्ता,

2. इन्द्रा देवी,

पता:- प्लॉट नं. ए-3, द्वितीय तल, प्लॉट नं. जी-02, गंगलगसिटी एक्सटेंशन, ब्लॉक जी, ग्राम पीथावास एवं निवारु(हाथोज), कालवाड़ रोड़, जयपुर।

अन्य पता:- प्लॉट नं. 70, सूरज नगर, निवारु रोड़, वैदजी का चौराहा के पारा, जयपुर।

3. सुभाष चंद्र गुप्ता,

पता:- प्लॉट नं. 70, सूरज नगर, निवारु रोड़, वैदजी का चौराहा के पारा, जयपुर।

अन्य पता:- तिरुपति विहार, गोपाल बड़ी करधनी रोड़, गोविन्दपुरा लिंक रोड़, कालवाड़ रोड़, गोविन्द देव मंदिर के पारा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर




The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

परिचित:- श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 03.12.2024

राक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.07.2018 को पुनर्गुप्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी इन्द्रा देवी के स्वामित्व की संपत्ति के.एल.एम. छाईदरा, प्लॉट नं. जी-02, योजना गंगलग सिटी विस्तार, ब्लॉक जी, ग्राम पीथावास एवं निवारु (हाथोज), कालवाड़ रोड़, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित यूनिट नं. ए-03, क्षेत्रफल 707.09 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 12,57,401/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण गुप्तान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज गुप्तान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलकत्ता) जयपुर (ग्रामीण)

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक को सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सूना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 12,57,401/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गम ब्याज कुल 10,65,429/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.06.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी इन्द्रा देवी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति के.एल.एम. हार्डट्स, प्लॉट नं. जी-92, योजना मंगलम सिटी विस्तार, ब्लॉक जी, ग्राम पीथावास एवं निवारू (हाथोज), कालवाड़ रोड़, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित यूनिट नं. एस-03, क्षेत्रफल 707.09 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रतिलिपि हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




(डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर (ग्रामीण)